सं. 127] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2005/भाद्र 22, 1927
No. 127] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005/BHADRA 22, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 सितम्बर, 2005

सं. टीएएमपी/26/2003-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा इसके वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करते हैं।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/26/2003-टीपीटी

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) .... आवेदक

आदेश

(अगस्त 2005 के 30वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने तूतीकोरिन पत्तन न्यास के दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ाते हुए हाल ही में 15 मार्च, 2005 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को राजपत्र सं. 43 के माध्यम से 31 मार्च, 2005 को अधिसूचित किया गया था। टीपीटी को सलाह दी गई थी कि वह अपना व्यापक प्रस्ताव अधिक से अधिक 30 जून, 2005 तक अवश्य दाखिल कर दे ताकि दरमान की अगली सामान्य समीक्षा की जा सके।

2. टीपीटी ने सूचित किया है कि दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव, इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले इसके न्यासी मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। किन्तु, टीपीटी के 14वें न्यासी मंडल का गठन अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। अतएव, इसने वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि संशोधित प्रस्ताव, पूरी तरह से गठित न्यासी मंडल के विचारों के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

3. चूंकि यह इसके दरमान की व्यापक समीक्षा है, टीपीटी को उचित लगता है कि प्राधिकरण के समक्ष इसे प्रस्तुत करने से पहले न्यासी मंडल द्वारा उस पर विचार किया जाए। टीपीटी अधिनियम में समाहित प्रशुल्क समायोजन व्यवस्था के अन्तर्गत, इस प्राधिकरण के समक्ष प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए पत्तन के न्यासी मंडल का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, यह प्राधिकरण न्यासी मंडल के विचारों के मूल्य की सराहना करता है। इसी समय, यह प्राधिकरण टीपीटी के प्रशुल्क की समीक्षा में और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी समीक्षा में पहले ही, बहुत विलम्ब हो चुका है। इसलिए, जहाँ टीपीटी का अनुरोध मान लिया गया है वहीं यह प्राधिकरण पत्तन को सलाह देता है कि वह अपना प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 2005 तक या उससे पहले अवश्यमेव प्रस्तुत कर दे। यदि किसी कारण मंडल का तब तक भी पूरी तरह गठन नहीं होता है, पत्तन न्यासी मंडल के विचार अलग से भेज सकता है जिन्हें प्रासंगिक कार्यविवरण में रिकार्ड कर लिया जाएगा।

4. पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/31/2002, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के द्वारा अनुमोदित दरमान की वैधता, जिसमें बाद में पारित विभिन्न आदेशों द्वारा संशोधन किया गया था, 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाई जाती है। टीपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अगली समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रस्तुत कर दे ताकि दरमान की समीक्षा की जा सके। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह प्राधिकरण उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दरमान की समीक्षा अपने आप कर देगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2005/असा.]